न्यायालय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।
उपस्थित–शिव कुमार सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा।
JO Code UP 5743
प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या 86 सन् 2026
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या 319 सन् 2026
रामेमोहन रस्तोगी बनाम वैभव शुक्ला।

04.06.2026

1– प्रार्थी द्वारा यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का मुकदमा वाद सं0–7/2020, एस0टी0सं0–109/2020 धारा 302 भा0द0सं0 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी मे लम्बित है, जिसमे अभियुक्त के अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र शुक्ला व शासकीय अधिवक्ता श्री महेन्द्र शुक्ला है तथा दोनो लोग सगे भाई है, जिस कारण पत्रावली मे कोई कार्यवाही नही हो पा रही है अभियुक्त के अधिवक्ता व जिला शासकीय अधिवक्ता दोनो लोग सगे भाई है इसलिए दोनो लोगो की सुदभिसंधि होने की प्रबल सम्भावना है, जिससे निष्पक्ष न्याय होने की सम्भावना नही है, इसलिए उक्त वाद को अन्य किसी सक्षम न्यायालय मे अंतरित कर दिया जाय।

2– प्रार्थना पत्र के प्रकाश मे संबंधित न्यायालय की आख्या आहूत की गयी।

3– सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4– सुनवाई के समय न्यायालय मे उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा अवगत कराया गया कि श्री महेन्द्र शुक्ला ए0डी0जी0सी0क्रि0 का स्थानान्तरण उक्त न्यायालय से अन्यत्र किया जा चुका है, अब वे उक्त न्यायालय मे कार्यरत नही है। चूॅकि वर्तमान मे श्री महेन्द्र शुक्ला ए0डी0जी0सी0क्रि0 का अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरण हो चुका है इसलिए वर्तमान स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पोषणीय नही रह गया है और पोषणीय न होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

दिनांक–04.06.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.04 15:09:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court